न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर जिला स0मा0

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
63/2021	10.01..2022	25.5.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्री जवाहर लाल जैन {आर.ए.एस.}

कैलाश बनाम अल्लानूर वगैरहा

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 131 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

प्रार्थी की ओर से श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट

<u>:– नि र्ण य :–</u>

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर की भूमि जमाबंदी संवत् 2060–2063 के खाता संख्या 28 पर खसरा नम्बर 547 रकवा 0.27 है0,548 रकवा 0.26 है0, 549 रकवा 0.26 है0, 550 रकवा 0.29 है0, 579 रकवा 0.40 है0, 586 रकवा 0.24 है0, कुल किता 6 कुल रकवा 1.72 हैक्टर भूमि प्रार्थी के पिता किशोरी लाल पुत्र भौरया मीना हिस्सा 3/10 हजारी पुत्र रघुनाथ प्रसाद हिस्सा 3/10 अल्लानूर पुत्र गेंन्दया हिस्सा 2/5 के नाम दर्ज है।

यह कि उक्त भूमि से सबंधित एक प्रकरण धारा 251 आर.टी.एक्ट कैलाश बनाम अल्लानूर का निर्णय दिनांक 09.4.2021 करे हो चुका है। प्रार्थी ने न्यायालय में आदेश अनुसार पैसा विपक्षी को जमा करा दिया है परन्तु मौजूदा नक्शासीट में खसरा नम्बर 1046/548 के स्थान पर 548, 548 के स्थान पर 1046/548 तथा 1047/549 के स्थान पर 549, 1048/550 के स्थान पर 550,549 के स्थान पर 1047/549,व 550 के स्थान पर 1048/550 हो गया जिसकी दुरूस्ती नक्शासीट में की जावे। उक्त गलती पटवारी हल्का ने बताई है। पूर्व में भूमि का विभाजन नामान्तकरण संख्या 402 निर्णय दिनांक 30.4.2004 से हो गया है जमाबन्दी संवत् 2060–2063 में शद्धि पत्र संख्या 2 दिनांक 30.11.2004 से बटा नम्बर डालकर दर्ज कर दिये गये।उक्त जमाबंदी संवत् 2060–63 खाता संख्या 445 निर्णय दिनांक 6.3. 2006 के अनुसार किशोरीलाल की विरासत राजूलाल, मुनीम, मलारी, कैलाश पुत्र किशौरी व लोहडी बेवा किशोरी के नाम हो चुकी है।

यह कि लट्ठासीट में खसरा नम्बर विभाजन के बाद सही नही डाले गये है जिनकी न्यायहित में दुरूस्ती की जावे उक्त गलती लिपिकिय भूल से हुई है इसलिए नक्शासीट में दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विस्तृत जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार वजीरपुर ने अपनी जाच रिपोर्ट में खसरा नंम्बर 1046/548 के स्थान पर 548, 1047/549 के स्थान पर 549, 1048/550 के स्थान पर 550 तथा 548 के स्थान पर 1046/548, 549 के स्थान पर 1047/549, 550 के स्थान पर 1049/550 किया जाना उचित माना है।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स.मा.)

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुरूप बहस करते हुए कहा कि तहसीलदार की जांच रिपोर्ट में भी उन्होने प्रार्थी के कथनों का समर्थन किया है इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पर में वर्णित रेवेन्यु रिकार्ड में गलत इन्द्राज की शद्धि की जावे।

बहस वकील प्रार्थी पर गनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाही गई शुद्धि के सन्दर्भ में तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार वजीरपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में वर्णित अशुद्धियां लिपिकिय भूल से होना माना है तथा लट्ठासीट में उक्त अशुद्धियों को शुद्ध किया जाना उचित माना है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर तहसील वजीरपुर के नक्शासीट में वर्णित खसरा नंम्बर1046/548 के स्थान पर 548,1047/549 के स्थान पर 549,1048/550 के स्थान पर 550 तथा 548 के स्थान पर 1046/548,549 के स्थान पर 1047/549,550 के स्थान पर 1048/550 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार तहसीलदार वजीरपुर को संशोधन हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/5/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर